



# जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्तौड़गढ़ (राज.)



(जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर), निम्बाहेड़ा रोड, चित्तौड़गढ़

दूरभाष संख्या :- 01472-294210

ई-मेल :- [dlsa10chittorgarh@rajasthan.gov.in](mailto:dlsa10chittorgarh@rajasthan.gov.in)

क्रमांक/संविदा सेवा/2025/906

दिनांक :- 10/02/2025

## --: विज्ञप्ति :-

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़ एवं अधीनस्थ कार्यालयों में 14 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर विपरीत प्रतिनियुक्ति निम्नानुसार की जानी है :-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों की संख्या
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़	14

राजस्थान सरकार विधि विभाग की आज्ञा संख्या पं.08(1)विधि-2/विरसं(64)/2015 पार्ट II दिनांक 22.01.2015 एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ-7(136)/रालसा/संस्था/संविदा सेवा-वाहन/ 2025/65 दिनांक 04.02.2025 के अनुक्रम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती होने में विलम्ब की संभावना होने एवं तत्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उक्त रिक्त पदों पर राज्य सरकार के विभागों/पीएसयू से विपरीत प्रतिनियुक्ति पर संविदा पर सेवाएं ली जानी हैं।

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के अनुसार देय होगा। आवेदक को पुनर्नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का विकल्प वरीयता में देना होगा।

उपरोक्त वर्णित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर उक्त शर्तों के अध्याधीन सेवाएं देने वाले इच्छुक कर्मचारी दिनांक 17.02.2025 को प्रातः 10:00 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक जिला न्यायालय, चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट <http://districts.ecourts.gov.in/chittorgarh> से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि दिनांक 10.02.2025 के पश्चात् के आवश्यक निर्देशों बाबत जिला न्यायालय, चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

----SD----

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/संविदा सेवा/2025/907

दिनांक :- 10/02/2025

प्रतिलिपि प्रभाराधिकारी ई-कोर्ट, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त विज्ञप्ति को ई-कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करावें।

  
सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)



# जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्तौड़गढ़ (राज.)



(राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए)

## आवेदन पत्र

01. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :- .....
02. पिता/पति का नाम :- .....
03. जन्म तिथि :- .....
04. पता मय मोबाइल नम्बर :- .....
05. आयु :- ..... वर्ष ..... माह ..... वर्ष .....
06. अर्हताएं :- .....
07. मूल विभाग का नाम :- .....
08. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :- .....
09. अनुभव :- .....
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैंड वेतन, ग्रेड पे) एल.पी.सी. संलग्न करें। :- .....
11. मूल पेंशन (पी.पी.ओ. की प्रति संलग्न करें।) :- .....
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय) :- .....
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) :- .....
14. पुनर्नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का नाम वरीयता अनुसार (1) ..... (2) ..... (3) .....
15. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा है :- .....

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

### सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक  
स्थान

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी

श्री ..... जो सेवानिवृत्ति से पूर्व ..... पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती ..... की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती ..... रूपये ..... मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैंड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती ..... अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती ..... के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर  
मय सील